

—:आदेश:—


राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	श्री पदम नवीन	वरिष्ठ लिपिक	डीडवाना	प्रतापगढ

अतः उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।
03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/संविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावें।
04. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावें।


  
(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(ग) ( )का/एसएमई/डीएलबी/19/3578-3581 दिनांक : 3-3-19

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महो० स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
4. सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका...डीडवाना.../प्रतापगढ
5. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग राज. जयपुर।
6. संबधित कर्मचारी श्री पदम नवीन, वरिष्ठ लिपिक, नगर पालिका डीडवाना।।
7. सुरक्षित पत्रावली।

  
(डॉ० विरेन्द्र सिंह)  
उप निदेशक (प्रशासन)